हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 फरवरी, 2004

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 9 फरवरी, 2004

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण	(1)1
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
शोक प्रस्ताव	(1)20
घोषणाएं—	(1)36
(क) अध्यक्ष द्वारा	(1)36
(i) चेयरपर्सन्स के नामों की सूची	(1)36
(ii) याचिका समिति	(1)36
(ख) सचिव द्वारा	(1)36
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)36
बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1)37
एशिया कप में विजयी महिला हाकी टीम को बधाई	(1)40

मूल्य : 31

पृष्ठ संख्या

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज पत्र (1)41

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना (1)44

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1)44

(ii) श्री करण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1)45

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह और श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०एज़० के विरुद्ध (1)46

(iv) डॉ० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1)47

Vidhan Sabha Secretariat * Haryana * Chandigarh
LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 9 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में बाद दोपहर 12.12 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly today *i.e.* 9th February, 2004 at 11.00 A.M. under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभासदो,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के पहले सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा अपनी शुभकामनायें देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि आशा भी है कि यह सत्र हरियाणावासियों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर रचनात्मक विचार-विमर्श को समर्पित होगा।

सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए, जैसा कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में वर्णित है, मेरी सरकार ने सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मार्गदर्शी एवं क्रांतिकारी नीतियां शुरू तथा कार्यान्वित की हैं। समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों, समूहों एवं व्यक्ति विशेष को उनकी प्रतिभा के अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करते हुए, हरियाणा ने अनेक नीतियां शुरु की हैं जिनकी देशभर में सराहना ही नहीं की जा रही है बल्कि अनेक राज्यों द्वारा उनका अनुसरण भी किया जा रहा है। मेरी सरकार ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति की है और एक ऐसा मंच तैयार किया है, जिससे प्रदेशवासियों को ऐसी समृद्धि एवं खुशहाली प्राप्त होगी, जिससे वे अब तक अनभिज्ञ थे। एक ठोस आधार तैयार किया गया है ताकि भावी पीढ़ियां शेष देश के साथ केवल प्रतिस्पर्धा ही न करें बल्कि देश का नेतृत्व करने की स्थिति में भी हों। प्रदेश के कृषक समुदाय के हितों की रक्षा करके तथा उन्हें कृषि विविधिकरण की ओर ले जाते हुए मेरी सरकार ने राज्य को एक आधुनिक छवि उपलब्ध करवाने में भी सफलता प्राप्त की है। आज यहां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए हरियाणा को अपने गंतव्य के रूप में चुना है। बिजली उत्पादन बढ़ाने एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा किए गए सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप कृषि आधारित सुदृढ़ अर्थव्यवस्था तथा मार्गदर्शी प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के चमत्कारिक परिणाम सामने आये हैं।

[Mr. Speaker]

खाद्यान्नों के एक-एक दाने की खरीद करते हुए पहली बार 505 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की खरीद भी की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के युवा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लाभों से वंचित न रह जाएं, शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा में दूरगामी सुधार किए गये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से भावी पीढ़ियां पूर्ण आत्मविश्वास एवं योग्यता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगी।

लोगों के कल्याणार्थ मार्गदर्शी एवं अनूठी योजनाएं शुरू करते हुए 5100 रुपये की कन्यादान योजना का विस्तार करके इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे समाज के सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया गया है। मेरी सरकार ने 'देवीरक्षक योजना' का शुभारंभ करके प्रदेश के उन सभी परिवारों, जिन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, को बीमा सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाकर अग्रणी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार, 'स्वास्थ्य आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू कर मेरी सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। पहली बार गांवों के विकास का कार्य शुरू किया गया है, ताकि लोगों को वहां सभ्य जीवन की सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इससे प्रदेश के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देर से कार्य शुरू करने के बावजूद मेरी सरकार के प्रयासों ने राज्य को इस क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश बनाया है।

मेरी सरकार देशभर में सबसे छोटे मंत्रिमण्डल के साथ कार्य कर रही है जिसने न केवल राजनैतिक स्थिरता ही प्रदान की है बल्कि प्रदेशवासियों से किये गये वायदों को पूर्ण करने के लिये प्रशासन को प्रेरित भी किया है। वास्तव में संसद में उस अधिनियम को पारित करवाने के लिए मेरी सरकार एक आदर्श रही जिसने सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत मंत्री बनाने की सीमा निर्धारित करने के लिये प्रेरित किया। प्रदेश को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान किया गया है। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से जन शिकायत निवारण पद्धति की भारत सरकार ने प्रशंसा की है और इसे अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय माना है।

कर ढांचे को और अधिक तर्कसंगत बनाया गया है तथा वर्ष 2003-2004 के दौरान 6,226 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान केवल 3,517 करोड़ रुपये का राजस्व ही एकत्रित किया गया था। राजस्व संग्रह में 77 प्रतिशत की इस रिकार्ड वृद्धि ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। केन्द्र से न्यायपूर्ण आर्थिक सहायता प्राप्त न होने के बावजूद मेरी सरकार ने विकास प्रक्रिया को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का उचित उपयोग किया है।

प्रदेशवासियों को सतलुज-यमुना योजक नहर के माध्यम से रावी-ब्यास नदी के अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने की जैसी उम्मीद आज है ऐसी प्रदेश के इतिहास में इससे पूर्व कभी नहीं थी। पंजाब क्षेत्र में प्रदेश की इस "जीवन रेखा" को पूरा करवाने के लिए सभी राजनैतिक एवं संवैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं एवं गतिविधियों की गहमागहमी है, 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम से

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 43,000 से भी अधिक विकास कार्य होने से हमारे गांव का स्वरूप बदलने जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 470 गांवों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लिटर से अधिक पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलापूर्ति सम्वर्द्धन का एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 500 करोड़ रुपये के निवेश से 71 अतिरिक्त नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं, 240 वर्तमान सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है तथा 1100 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं। खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचना सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए गए हैं। मेरी सरकार द्वारा खालों की मरम्मत का व्यापक कार्य भी हाथ में लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में और अधिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवा कर तथा डेरियों एवं सुअर इकाइयों को नगरपालिका सीमाओं से बाहर स्थानान्तरित करके शहरों के सौन्दर्यकरण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। शहरों में जलापूर्ति में वृद्धि एवं सीवरेज प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। जनसाधारण की सुविधा एवं इस्तेमाल के लिए और अधिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लगभग 39,000 नौकरियां सृजित कर और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के मद्देनजर सरकार ने निजी आप्रेटरों द्वारा बसों के परिचालन के लिए परमिट देने की एक नीति शुरू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी वाहनों की संख्या एवं उसकी मानव शक्ति को कम किए बिना परिवहन सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों में इन सेवाओं को उपलब्ध करवाना तथा जरूरतमंद युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है।

तदर्थ, अनुबंध, दिहाड़ीदार कर्मचारी, जो पूर्व नीति के तहत नहीं आते थे, को लाभान्वित करने तथा उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए एक नई नीति बनाई गई है।

लोगों के समक्ष सम्पत्ति की बिक्री एवं खरीद के लिए आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्टॉम्प शुल्क क्रमशः साढ़े बारह प्रतिशत से घटाकर छः प्रतिशत तथा साढ़े पन्द्रह प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत करने का निर्णय किया है। केवल यही नहीं, राज्य के सहकारी बैंकों में भी ऐसे सदस्यों के लिए ब्याज की दरें कम कर दी हैं जिन्होंने बैंक ऋण अदा करने में कोई चूक नहीं की है।

कृषि

कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास करते हुए प्रदेश आज भावी चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार है। मेहनतकश किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के हर सम्भव प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 2003-2004 के लिए 128.48 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें खरीफ का 34.47 लाख टन तथा रबी का 94.01 लाख टन उत्पादन शामिल है। समय पर पर्याप्त वर्षा तथा मौसम अनुकूल होने के कारण चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के तहत 43.49 लाख हैक्टेयर रिकार्ड क्षेत्र लाए जाने से 137.97 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान है जोकि अब तक का रिकार्ड होगा। गन्ना, कपास एवं तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 9.72 लाख टन (गुड़), 13.59 लाख गांठें तथा 9.83 लाख टन होने का अनुमान है। कपास की औसत झाड़ 454 लिंट किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है जो अब तक सर्वाधिक है।

[Mr. Speaker]

सरकार ने कृषि उत्पादन प्रणाली, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रोत्साहन को स्थायी बनाने हेतु फसलों के विविधिकरण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। धान एवं गेहूं के अधीन तीन लाख हैक्टेयर क्षेत्र, दलहनों एवं तिलहनों, जिनकी देश में कमी है, की काश्त करने का प्रस्ताव है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बासमती एवं ग्वार के तहत क्षेत्र को भी बढ़ाया जाएगा। घरेलू एवं विश्व बाजार के लिए फलों एवं सब्जियों की काश्त को भी बढ़ाया जा रहा है। जैविक खेती की अवधारणा दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है तथा सरकार भी प्रदेश में इसे किसानों में और अधिक लोकप्रिय बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। वर्ष 2003-2004 की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-2005 के लिए 144 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है। गन्ना, कपास एवं तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 10 लाख टन (गुड़), 15 लाख गांठें एवं 8.30 लाख टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2003-2004 के 3101 लाख रुपये के परिव्यय के विरुद्ध 3100 लाख रुपये का व्यय होने की संभावना है। वर्ष 2004-2005 के लिए 2750 लाख रुपये का राज्य योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2004-2005 के लिए योजना परिव्यय में 406.34 लाख रुपये अनुसूचित जाति अधयव के लिए निर्धारित किये गये हैं।

प्रकृति की आपदा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीफ 2004 से आगे के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। बाजरा, कपास, मक्का, अरहर, चना तथा सरसों की फसल, जिन्हें अधिक नुकसान होता है, को इस बीमा योजना के तहत लाया जाएगा।

शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में भूमि कटाव को रोकने तथा भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1990 से एक 'सघन वाटरशैड विकास परियोजना' (काण्डी परियोजना) क्रियान्वित की जा रही है। इससे इस क्षेत्र के किसान एवं पशुपालक बहुत लाभान्वित हुए हैं। भारत सरकार ने जिला सिरसा, सोनीपत, भिवानी एवं झज्जर के लिए 4600 हैक्टेयर भूमि के सुधार हेतु लगभग 19 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। राज्य कृषि विभाग जीरो टिलेज प्रौद्योगिकी को सक्रियता से प्रोत्साहित कर रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में किसान क्लब गठित किए गए हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र उचानी (करनाल) एवं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में शुल्क मुक्त कृषि हैल्पलाईन शुरू की गई है तथा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बावल में तीसरी ऐसी हैल्पलाईन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम को एक नोडल एजेन्सी मनोनीत किया गया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड भी मण्डियों एवं सड़कों के निर्माण एवं विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। नवम्बर, 2003 तक 303 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपये तथा मरम्मत पर सात करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। विकास की दौड़ में पीछे न रहते हुए हरियाणा भण्डारण निगम हरियाणा तथा आसपास के क्षेत्रों के आयातकों एवं निर्यातकों को शुष्क पोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रिवाड़ी में एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो स्थापित करने का कार्य कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि निगम ने वर्ष 2002-2003 के दौरान लगभग 16 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। बागवानी उत्पाद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकार फलों, सब्जियों, पूलों एवं औषधीय पौधों के तहत और अधिक क्षेत्र लाने के प्रयास कर रही है।

खाद्य एवं आपूर्ति

राज्य की सरकारी खरीद एजेन्सियों तथा भारतीय खाद्य निगम ने किसानों के उत्पाद के एक-एक दाने की भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं। खरीफ सीजन 2003-2004 के दौरान 221 मण्डियों को संचालित किया गया। मण्डियों में आए 35.55 लाख मीट्रिक टन धान में से 23.39 लाख मीट्रिक टन लेवी धान था। सरकारी एजेन्सियों द्वारा लगभग 10 लाख मीट्रिक टन लेवी धान की खरीद की गई, जबकि मिल मालिकों द्वारा लगभग 13 लाख मीट्रिक टन लेवी धान खरीदा गया। धान की मिलिंग का कार्य पूरे जोरों से चल रहा है तथा इस मौसम के दौरान केन्द्रीय अन्न भण्डार में लगभग 13.50 लाख मीट्रिक टन चावल दिए जाने की संभावना है, जबकि गत वर्ष 13.18 लाख मीट्रिक टन चावल दिया गया था।

खरीफ विपणन मौसम के दौरान वर्ष 2003-2004 में दक्षिणी हरियाणा में 38 मण्डियां स्थापित करके बाजरे की खरीद के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए। पहली बार मण्डियों में आए 2.04 लाख मीट्रिक टन बाजरे में से 1.99 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद 505 रुपये प्रति क्विण्टल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। इससे बाजरा उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2003-2004 के दौरान भी खरीद अभियान पिछले वर्षों की भांति ही प्रभावी एवं सुचारु रूप से संचालित किया गया तथा किसानों द्वारा अपनी फसल को औने-पौने दामों पर बेचने का कोई भी मामला नहीं हुआ। प्रदेश में नागरिकों को डीजल, पैट्रोल, कोयला, सीमेंट इत्यादि जैसी सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर बहुतायत में उपलब्ध हैं।

सहकारिता

सहकारिता विभाग ग्रामीण जनता की सेवा में कार्यरत है। वर्ष 2002-2003 के दौरान 3,741 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण वितरित किए गए तथा वर्ष 2003-2004 तक इनके 4,100 करोड़ रुपये होने की संभावना है। हरको बैंक ने 17 नवम्बर, 2003 से प्राथमिक कृषि एवं सेवा समितियों के समय पर अदायगी करने वाले सदस्यों के लिए फसली ऋणों पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की कमी की है। ब्याज की न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध करवा कर ग्रामीण लोगों की सेवा करते हुए बैंक ने वर्ष 2002-2003 के दौरान 39 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया है। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 2002-2003 के दौरान 406 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण वितरित किए तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2003 तक 221 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण वितरित किए जा चुके हैं। नाबार्ड ने वर्ष 2003-2004 के लिए 402 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ऋण धारकों के लिए पहली दिसम्बर, 2003 से ब्याज की दर 1.75 प्रतिशत तक कम की है। ब्याज की दर में यह कमी ग्रामीण ऋण धारकों के लिए वरदान साबित हुई है। इस बैंक ने वर्ष 2002-2003 के दौरान नौ करोड़ रुपये का लाभ भी अर्जित किया। हैफेड ने भी चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं का 13 लाख मीट्रिक टन तथा चावल का 1.30 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड निर्यात किया। इस संगठन ने गत वर्ष 22 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें राज्य के गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद का समय पर भुगतान कर सराहनीय सेवाएं कर रही हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में दो सहकारी

[Mr. Speaker]

चीनी मिलों ने राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सहकारी चीनी मिल, शाहबाद ने देश में श्रेष्ठ सहकारी चीनी मिल होने तथा श्रेष्ठ वित्तीय प्रबन्धन के लिए दो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार, हरियाणा डेरी विकास सहकारी प्रसंघ अपने 3600 सहकारी समितियों के तंत्र के माध्यम से दूध की खरीद करके दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि करने में सहयोग दे रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पादकों को 12.64 रुपये प्रति लिटर का औसत मूल्य अदा किया गया जबकि वर्ष 2002-2003 के दौरान 11.09 रुपये प्रति लिटर का मूल्य दिया गया था, जोकि 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए उन्हें उत्तम स्तर का पशु आहार, चारा बीज एवं पशु दवाइयां उपलब्ध करवाने जैसे उपाय किए गए।

पशुपालन एवं मत्स्य पालन

मेरी सरकार प्रदेश में पशुपालन एवं डेरी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता से पूर्णत: अवगत है। इन क्षेत्रों में किए गए सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 656 ग्राम दूध उपलब्ध हो रहा है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 'मुंह एवं खुर' बीमारी के नियंत्रण के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिस पर 12 करोड़ रुपय की राशि व्यय होगी। यह कार्यक्रम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहने की संभावना है। मछली उत्पादन में वृद्धि की ओर भी मत्स्य पालन विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर, 2003 तक 7658 हैक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्य पालने के तहत ला कर 25,900 टन मछली का उत्पादन हुआ है तथा आगामी वित्त वर्ष के दौरान इसका उत्पादन 42,000 टन होने की संभावना है।

वन एवं पर्यावरण

वृक्ष पारिस्थितिकी सुरक्षा का माध्यम हैं क्योंकि वे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरियाणा प्रदेश में कुल 1.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र वन के तहत है जोकि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5 प्रतिशत है। प्रदेश में लकड़ी एवं ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत वनीकरण किया जा रहा है। राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अप्रैल, 2003 से लेकर दिसम्बर, 2003 तक प्रदेश में 428 लाख पौधे लगाए गए जबकि वित्त वर्ष 2003-2004 के लिए 450 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग द्वारा इनमें से 184 लाख पौधे 15,538 हैक्टेयर क्षेत्र पर लगाए गए जबकि 244 लाख पौधे विभिन्न सरकारी विभागों एवं जनता को लगाने के लिए नि:शुल्क वितरित किए गए। सरकार ने वर्ष 2004-2005 के दौरान 4.50 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया है।

औषधीय पौधों से प्राप्त अच्छी आय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश में औषधीय पौधों की काश्त को बढ़ावा देने के लिए औषधीय पौधा बोर्ड का गठन किया है। ऐसी काश्त को लोकप्रिय बनाने तथा ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्य को लेकर ग्राम पंचायतों की भूमि पर औषधीय पौधे लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।

वन्य प्राणी संरक्षण हमेशा से ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। भिण्डावास पक्षी विहार का सुनियोजित विकास किया जा रहा है तथा वहां एक नेचर इन्टरप्रिटेशन सैंटर स्थापित किया जा रहा

है ताकि लोगों को पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में उन द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित किया जा सके।

जहां सरकार पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ-साथ त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है वहीं प्रदेश में जैव-चिकित्सा कचरे, हानिकारक कचरे तथा प्लास्टिक के इस्तेमाल के कारण उत्पन्न प्रदूषण को विनियमित करने के लिए बनाए गए विभिन्न को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही, जन-साधारण में पर्यावरण के महत्व बारे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय हरित कोर्प्स योजना के तहत 1900 इको-क्लब्स स्थापित किए गए हैं। इको-क्लब्स के सदस्यों के माध्यम से प्रदेश में पर्यावरण के महत्व बारे जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए हुडा ने पानीपत में सैक्टर 29 भाग-II नामक एक विशेष सैक्टर विकसित किया है, जहां शहर भर में फैली रंगाई की इकाइयों को स्थानान्तरित करने के लिए सहमत किया गया है। इस सैक्टर, जिसमें सामान मल निस्सार शोधन संयंत्र की सुविधा होगी, में 313 इकाइयों को प्लॉट आबंटित किए गए हैं। इसी प्रकार, फरीदाबाद शहर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित 300 इलैक्ट्रोलेटिंग इकाइयों को शहर के सैक्टर 58 में स्थानान्तरित किया गया है।

सिंचाई

सिंचाई विभाग ने प्रदेश में वर्ष भर किसानों के खेतों को सिंचाई के लिए सफलापूर्वक अधिक पानी उपलब्ध करवाया है। भाखड़ा प्रणाली में नहरी जल की उपलब्धता गत वर्ष की तुलना में 0.54 एम०ए०एफ० अधिक रहेगी। वर्ष 2003-2004 के दौरान रबी मौसम के लिए पानी की आपूर्ति में लगभग 1100 क्यूसिक तक की वृद्धि होगी। जवाहर लाल नेहरू फीडर के माध्यम से जवाहर नेहरू उठान योजना के नहरी क्षेत्र में जलापूर्ति 25 प्रतिशत (1200 क्यूसिक से 1500 क्यूसिक) तक बढ़ाई गई है। शाहपुर नलवी नहर योजना को अब पुनः शुरु किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन से जिला कुरुक्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्रों को सिंचाई एवं पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना का कुल प्रस्तावित कमान क्षेत्र 83,720 हैक्टेयर है, जिसमें से कृषि योग्य नहरी क्षेत्र कमान 75,344 हैक्टेयर है।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नाबार्ड सहायता परियोजना के अन्तर्गत नई माइनरों के निर्माण, पहले से ही निर्मित माइनरों के विस्तार व ड्रेनों के निर्माण की 130 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 76 ऐसी योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत आने वाली मुख्य योजनाएं घग्गर-सहदेव ममेर खेड़ा लिंक चैनल, रंगोई खरीफ चैनल, बास हिसार घग्गर बहुद्देशीय चैनल, दचेर नथोर लिंक चैनल, रामकली माइनर, पटौदी डिस्ट्रीब्यूटरी इत्यादि है। नाबार्ड की वित्तीय सहायता एवं स्वीकृति के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत की एक और नई परियोजना तैयार की गई है।

भाखड़ा नहर कमान क्षेत्र के विकास का कार्य 319 करोड़ 46 लाख रुपये की एक परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत आठ जिलों से सम्बन्धित 2.39 लाख हैक्टेयर कमान क्षेत्र के जलमार्गों को पक्का किया जाएगा। हथनी कुण्ड बैराज लिंक चैनल

[Mr. Speaker]

के निर्माण के उपरांत सानसून के दौरान यमुना जल की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई जल उपलब्धता को प्रयोग में लाने के लिए कैरियर चैनलों की क्षमता बढ़ाने का कार्य तीव्र सिंचाई लाभ परियोजना के अन्तर्गत प्रगति पर है, जोकि केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है। हांसी ब्रांच की क्षमता बढ़ा दी गई है, जबकि पश्चिमी यमुना नहर मुख्य ब्रांच, सिरसा ब्रांच, बुटाना ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, नारायण डिस्ट्रीब्यूटरी तथा रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता को बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है।

समाज कल्याण

हरियाणा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर उपेक्षितों के कल्याणार्थ सदा आगे रहा है। राज्य सरकार समाज के इन वंचित एवं उपेक्षित व्यक्तियों के प्रति स्पष्ट विशेष जिम्मेदारी समझते हुए इन वर्गों को उचित महत्व दे रही है। चालू वर्ष के लिए 328.42 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया तथा अगले वर्ष के लिए 358.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चौधरी देवी लाल जन सुरक्षा बीमा योजना (देवी रक्षक योजना) 2 अक्तूबर, 2003 से लागू की जा चुकी है जिसके लिए नेशनल इंस्योरेंस कम्पनी लि०, चण्डीगढ़ को एक वर्ष के लिए 400 लाख रुपये बतौर प्रीमियम दिए गए हैं। इस योजना के तहत 62 व्यक्तियों के दावे निपटाये गए हैं तथा 54 दावे विचाराधीन हैं। मेरी सरकार वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण को भी उच्च प्राथमिकता दे रही है। रेवाड़ी में सरकार द्वारा संचालित वृद्ध विश्राम गृह के अतिरिक्त 606 गांवों में ताऊ देवी लाल वृद्ध विश्राम गृहों का निर्माण करवाया जा चुका है तथा 356 और वृद्ध विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं।

मेरी सरकार उपेक्षित वर्गों जिनमें अपंग, बच्चे व महिलाएं शामिल हैं के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दे रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इन वर्गों के कल्याणार्थ 792 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं और वर्ष 2004-2005 के बजट में 816 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पूर्णत: वचनबद्ध है तथा इसके लिए उनके सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2004-2005 के लिए 49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार बच्चों एवं महिलाओं के समुचित विकास एवं समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2003-2004 के संशोधित बजट में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 123.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2004-2005 के बजट के लिए 131.96 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। समेकित बाल विकास सेवाएं योजना की 116 परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत 13,546 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने विभिन्न दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए बड़े पैमाने पर सिविल समाज को भागीदार के रूप में शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है। सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम के तहत नए नियम बनाए गए हैं और राज्य स्तर पर मुख्य दहेज निषेध अधिकारी नामांकित करने के अतिरिक्त सभी उप-मण्डल मजिस्ट्रेटों एवं नगराधीशों को दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ग्रामीण विकास

मेरी सरकार द्वारा चलाया जा रहा लोकप्रिय एवं उत्तरदायी "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने एवं लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अनुमानत: 1891.10 करोड़ रुपये की लागत से 28,822 विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 14,393 कार्य प्रगति पर हैं। विकासात्मक गतिविधियों का चौथा चरण 2 अक्तूबर, 2003 से शुरू किया गया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजना क्रियान्वयनाधीन है तथा इस योजना के लिए आगामी वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों के निर्माण एवं मरम्मत के सामाजिक कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा उन्हें अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। मैचिंग ग्रांट योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 63 कार्यों के लिए 299 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जबकि अगले वित्त वर्ष में 240 लाख रुपये सरकार के हिस्से के तौर पर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना जैसी अन्य मुख्य योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए 187 करोड़ रुपये की राशि से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। दिसम्बर, 2003 के अन्त तक 258 मकानों का निर्माण करवाया गया तथा 156 मकान निर्माणाधीन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सुधार के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं

मेरी सरकार हरियाणा के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा लोगों के स्वास्थ्य स्तर को और अधिक सुधारने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेशवासियों को 50 अस्पतालों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 404 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2299 उप-केन्द्रों, 12 जिला क्षय रोग केन्द्रों, 39 औषधालयों, 14 सचल औषधालयों तथा दो सचल दन्त औषधालयों के तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, तीन अस्पताल भवन, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पांच उप-केन्द्र निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए 535 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-केन्द्र, जोकि किराये के भवनों में चल रहे हैं, के लिए चरणबद्ध ढंग से भवनों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अस्पतालों में पर्ची फीस के रूप में एकत्रित राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत एवं उपकरणों के रखरखाव पर व्यय किया जाना भी प्रस्तावित है।

वर्ष 2003-2004 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय 184.57 रुपये हुआ, जबकि वर्ष 1993-94 में यह व्यय 77.02 रुपये था। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए एक करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद की गई। राजकीय अस्पताल, पंचकूला में कैंसर विंग की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2004-2005 के दौरान दवाइयों की खरीद के लिए

[Mr. Speaker]

665 लाख रुपये तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए 180 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार ने पहली नवम्बर, 2003 से 'स्वास्थ्य आपके द्वार' नामक एक अनूठी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य जांच उनके घर द्वार पर ही की जाएगी। संशोधित चौधरी देवी लाल राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना- "देवीरुपक योजना" 24 नवम्बर, 2003 से शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरता तथा घटते लिंग अनुपात को रोकना है। इस योजना के तहत 3,915 दम्पतियों का पंजीकरण किया गया है तथा 181 दम्पती आप्रेशन करवा कर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए प्रदेश में प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश ने अब तक 760 जैनेटिक क्लीनिक्स तथा 66 जैनेटिक परामर्श केन्द्र पंजीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त, 40 अल्ट्रासाउंड मशीनें जब्त एवं सील की गई हैं तथा 20 अभियोग चलाए गए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। गत दो वर्षों के दौरान प्रदेश में 500 से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 2004 तक स्वास्थ्य जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के सभी 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तीन-तीन दिवसीय स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य मेले के लिए भारत सरकार आठ लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवा रही है।

इसी प्रकार, आयुर्वैदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक अस्पतालों एवं औषधालयों के तंत्र के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक की विभिन्न योजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 11 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। पंचकूला में आयुर्वेद निदेशालय के भवन तथा श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरुक्षेत्र के लड़कियों के छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 22 और आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने का भी प्रस्ताव है, जिनमें से 16 आयुर्वेदिक औषधालय पहले ही खोले जा चुके हैं। वर्ष 2003-2004 में छः नए औषधालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रम एवं रोजगार

राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। औद्योगिक संघों तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनस के प्रतिनिधियों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के दृष्टिगत हरियाणा सुरक्षा परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। प्रबन्धन को कार्य स्थल पर बेहतर सुरक्षा वातावरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक सुरक्षा पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक दुर्घटनाओं की दर देश में सबसे कम है।

सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम एवं अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत कारखाना भवन योजनाओं की स्वीकृति के साथ-साथ लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक पुस्तिका जिसमें सूचना ब्रोशर तथा आवेदन ब्रोशर शामिल है, जारी करके 'सहायता' नामक एक योजना शुरू की है।

प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 2197.84 रुपये प्रतिमाह है तथा इन दरों में मजदूरों से सम्बन्धित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को नगण्य करने के लिए प्रति छः मास

की अवधि के उपरांत संशोधन किया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं के तहत औद्योगिक श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 19.12 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

राज्य सरकार ने रोजगार कार्यालय के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अधिकारियों को स्वरोजगार कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा

माननीय सभासदो ! मेरी सरकार ने सिरसा, जोकि शिक्षा में पिछड़ा क्षेत्र है, में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय नामक एक नया विश्वविद्यालय स्थापित कर एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान गुड़गांव, भिवानी, भुरथल एवं हिसार में चार नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं जिनमें से तीन महाविद्यालय केवल महिलाओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पंचकूला में एक राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। सरकार अपनी नीति के अनुसार निजी संगठनों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को भी प्रोत्साहित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा सदन, जिसमें शिक्षा के तीनों निदेशालयों के कार्यालय एक ही भवन में होंगे, शीघ्र ही पंचकूला के सैक्टर-5 में बन कर तैयार हो जाएगा।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष राज्य स्तरीय समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। बी०एस०सी०, बी०कॉम० एवं बी०ए० तृतीय वर्ष में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में कम्प्यूटर दिए जाते हैं। इस कदम की बहुत सराहना की जा रही है तथा यह योजना प्रदेश में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाएगी। वर्ष 2003-2004 के दौरान इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 5.77 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मेधावी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी आवासीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2003-2004 में 20 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई।

प्रदेश के हर बच्चे को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 105 प्राथमिक स्कूलों, 12 मिडल स्कूलों, 17 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर क्रमशः मिडल, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का बनाया गया है। अब विद्यालयों की सुविधा 1.11 किलोमीटर, 1.44 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर तथा 3.08 किलोमीटर के दायरे में क्रमशः प्राथमिक, मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक रूप में उपलब्ध है। छठी कक्षा में पढ़ने वाली उन सभी लड़कियों को साइकिल उपलब्ध करवाए जाएंगे जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए साथ लगते गांवों में जाना पड़ता है।

पंचकूला, यमुनानगर, पानीपत, कैथल तथा रेवाड़ी में पांच नए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) खोले गए हैं। ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अगस्त, 2004 तक चालू हो जाएंगे। वर्तमान 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में चार शाखाएं और जोड़कर उन्हें पुनर्गठित किया गया है।

[Mr. Speaker]

राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में लड़कियों की शिक्षा पर और अधिक बल देने के लिए जहां महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है, उन 10 जिलों के 38 खण्डों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक योजना चलाई जा रही है। स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति तथा उसे बनाए रखने के लिए चालू वर्ष के दौरान अनेक कार्यों पर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी।

178 ब्रांच प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें पूर्णत: प्राथमिक स्कूल बनाया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा एक से चार की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं। आगामी सत्र से कक्षा एक से आठ में पढ़ने वाली सभी लड़कियों व अनुसूचित जाति के लड़कों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। विकलांगों की समेकित शिक्षा योजना के तहत 28,548 विकलांग बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूलों में दाखिल किया गया। इस योजना के तहत दस जिलों में आदर्श विद्यालय खोले गए हैं।

खेल एवं युवा कल्याण

सरकार द्वारा वर्ष 2001 में अपनाई गई आशावादी खेल नीति के सकारात्मक परिणाम रहे हैं। वर्ष 2003 में हरियाणा के खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियां इसका प्रमाण हैं। हैदराबाद में आयोजित एफ्रो-एशियन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में दस स्वर्ण पदक, एक रजत पदक एवं एक कांस्य पदक प्राप्त किया।

वर्ष 2003-2004 के दौरान 445 खिलाड़ियों को 1.61 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किए गए। खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हुए किसी खिलाड़ी की दुर्घटना में मृत्यु या घायल हो जाने पर पांच लाख रुपये तक की राशि उसके परिवार को दिए जाने सम्बन्धी एक नई योजना लागू की गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सुनिश्चित भविष्य उपलब्ध करवाने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर विभिन्न खेलों की 13 टीमें तैयार की जा रही हैं। इन खिलाड़ियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त होगा। राज्य का प्रथम हाकी एस्ट्रोटर्फ 2.35 करोड़ रुपये की लागत से गुड़गांव में बिछाकर चालू किया गया है तथा ऐसा ही एक एस्ट्रोटर्फ वर्ष 2004-2005 में शाहबाद में स्थापित किया जाएगा। गुड़गांव एवं पंचकूला में दो ऐसे आधुनिक खेल परिसर संचालित किए गए हैं जिनमें सभी मुख्य खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्यभर में ग्राम स्तर पर खेल मैदान उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

अगस्त 2004 में ऐथन्स में आयोजित होने वाले ओलम्पिक खेलों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हरियाणा के किसी भी खिलाड़ी को राज्य सरकार एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

बिजली

विकास के लिए बिजली निःसन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसी सच्चाई को मानते हुए मेरी सरकार ने राज्य में अधिकतम बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर स्तर की बिजली उपलब्ध करवाने को उच्च प्राथमिकता दी है। बिजली की उपलब्धता में लगातार एवं

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1998-99 में जहां बिजली की औसत दैनिक उपलब्धता 367 लाख यूनिट थी, वहीं चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2003 तक प्रतिदिन औसतन 561 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 1998-99 की तुलना में कुल संचित वृद्धि 53 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र को वर्ष 1998-99 के औसतन 184 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की तुलना में चालू वर्ष में 289 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की गई, जोकि 57 प्रतिशत अधिक रही। प्रदेश में त्वरित बिजली विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ताऊ देवी लाल थर्मल पावर प्लांट पानीपत की सातवीं एवं आठवीं इकाइयों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है तथा इन इकाइयों को रिकार्ड समय में चालू किए जाने की योजना है ताकि इस वर्ष अक्तूबर मास तक अतिरिक्त 250 मैगावाट तथा फरवरी, 2005 तक अन्य 250 मैगावाट की वृद्धि की जा सके।

इसके साथ ही यमुनानगर में एक नया विद्युत उत्पादन परिसर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पुनर्स्थापन एवं विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा 75 और नए उप केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी है। यह हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के बाद की अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि होगी।

मेरी सरकार ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक भार वाले 11 के०वी० फीडरों के द्विभाजन एवं त्रिभाजन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 550 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किए गए त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत उप-सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली के पुनर्गठन एवं विस्तार की एक योजना शुरू की गई है। मेरी सरकार ने त्वरित कनैक्शन जारी करने की विशेष योजनाएं शुरू की हैं। पूर्व सरकारों के कार्यकाल के दौरान हर वर्ष औसतन 1000 नलकूप कनैक्शन जारी किये गये वहीं मेरी सरकार के कार्यकाल के दौरान 36,000 से अधिक नए नलकूप कनैक्शन जारी किए गए। साथ ही बिजली कनैक्शन जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को तेजी से बिजली कनैक्शन जारी किए जा रहे हैं।

उद्योग

आज समस्त विश्व में उद्योग जगत आर्थिक मंदी के दौर से उबर रहा है। भारतीय उद्योग भी बढ़त की ओर अग्रसर है। निश्चय ही अच्छा मानसून, बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा व्यापार एवं वाणिज्य में पर्याप्त विकास के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का माहौल है। आज हरियाणा देश का एक अधिकतम औद्योगिक विकसित राज्य बन गया है तथा घरेलू एवं विदेशी निवेशकों की पहली पसंद है। हरियाणा अच्छी आधारभूत सुविधाओं, बेहतर कानून एवं व्यवस्था तथा मालिकों एवं श्रमिकों के मधुर सम्बन्धों के कारण देश के अन्य राज्यों से आगे है। दिसम्बर, 2003 तक हरियाणा में 1215 बड़ी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं जो देश के उत्तरी प्रान्तों में सबसे अधिक हैं। हरियाणा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है। वर्ष 1999 से लेकर अब तक राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से 3132 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। गत वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से 1857 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया तथा 4819 करोड़ रुपये के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

[Mr. Speaker]

प्रदेश अत्याधुनिक औद्योगिक सम्पदाएं भी विकसित कर रहा है जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेरी सरकार की इस अवधि में औद्योगिक सम्पदाओं के लिए 6500 एकड़ का एक भूमि बैंक भी सृजित किया है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 198 नए बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा लगभग 4500 नए लघु स्तरीय उद्योग स्थापित हुए हैं। नियमों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा बेहतर आधारभूत सुविधाओं के परिणामस्वरूप हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान 6128 औद्योगिक प्लाट आबंटित किए हैं। इन आबंटित औद्योगिक प्लाटों पर औद्योगिक परियोजनाओं के शुरू होने के उपरांत लगभग 9000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा तथा इनसे लगभग दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा राज्य में औद्योगिक उद्यमकर्त्ता ज्ञापन योजना के क्रियान्वयन में 59 प्रतिशत की औसत के साथ देश में सबसे अग्रणी है जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 37 प्रतिशत है।

बेहतर आधारभूत सुविधाओं तथा सरकार द्वारा व्यापार एवं उद्योग को दिए जा रहे अनेक प्रोत्साहनों एवं रियायतों के कारण हरियाणा से निर्यात गत वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। तथापि इस वर्ष इसके 12,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिगत राज्य सरकार जिला गुड़गांव के गढ़ी हरसरू में 3,000 एकड़ क्षेत्र पर विशेष आर्थिक ज़ोन स्थापित कर रही है। राज्य सरकार फरीदाबाद एवं गुड़गांव में ऑटोमोबाइल्ज एवं लाइट इंजीनियरिंग उद्योग के समूहों को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत गत वर्ष के दौरान 8097 शिक्षित बेरोजगार युवकों को 46.46 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। इस वर्ष इस योजना के तहत 8100 लाभानुभोगियों को वित्त उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिला भिवानी में गांव कल्याणा के 'फलेक्सिबल सैण्ड स्टोन' को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। पिंजौर के निकट एक 'फॉसिल पार्क' (जीवाश्म पार्क) स्थापित करने पर भी कार्यवाही की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उपयुक्त क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। वर्ष 2004 को वैज्ञानिक जागरूकता वर्ष घोषित किया गया है। कल्पना चावला मैमोरियल तारामण्डल की स्थापना कुरुक्षेत्र में की जा रही है।

पौधा संवर्द्धन अनुसंधान एवं अनुप्रयोग केन्द्र ने ऊतक संवर्द्धन प्रौद्योगिकी के माध्यम से गन्ने, सफेद मूसली एवं अमरूद के व्यावसायिक गुणजों के लिए एक तकनीक विकसित की है।

हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र (हरसक) ने 42 परामर्श एवं तकनीकी योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की हैं। इस समय उक्त केन्द्र में आठ परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विश्व में हो रहे भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य में साफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यात का 45 प्रतिशत है। वर्ष 2002-2003 में 4450 करोड़ रुपये का साफ्टवेयर निर्यात किया गया। गुड़गांव क्षेत्र साफ्टवेयर निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर है। नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुड़गांव में एक क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग प्रोत्साहन कार्यालय स्थापित किया गया है। हारट्रोन ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर जन-साधारण को आई०टी० की शिक्षा प्रदान करने के लिए 74 नए फ्रेंचाइज केन्द्र स्थापित किये हैं। हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली (हैरिस) प्रदेश में 104 स्थानों पर क्रियान्वित की जा रही है जिसमें सभी तहसील एवं अधिकतर उप-तहसील शामिल हैं। एक नया एकीकृत साफ्टवेयर, हरियाणा भू-अभिलेख सूचना प्रणाली (हालरिस) पायलट आधार पर क्रियान्वित की गई है तथा ऑन लाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओटिस) राज्य के सभी 21 खजानों एवं 80 उप-खजानों में क्रियान्वित की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उद्योगों को स्थापित करने के लिए गुड़गांव में 78 एकड़ भूमि पर एक साईबर सिटी विकसित किया जा रहा है। हारट्रोन की कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर निर्यात इकाइयों के लिए इलेक्ट्रानिक सिटी गुड़गांव में लगभग छः एकड़ भूमि पर हाईटैक हैबिटैट केन्द्र स्थापित करने की योजना है जिसमें विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, वाई०एम०सी०ए० इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद, छोटू राम इंजीनियरिंग महाविधालय मुरथल तथा टेक्नालोजिकल इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्सटाइल्ज़ एण्ड साइंसिज़, भिवानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है जिनमें एम०टैक० की कुल सीट संख्या 141 से बढ़कर 226 हो गई है। पन्नीवाला मोटा (सिरसा) में स्थापित किया गया नया चौधरी देवी लाल मैमोरियल इंजीनियरिंग कालेज शैक्षणिक सत्र 2003-2004 से चालू हो गया है।

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 19.36 करोड़ रुपये की लागत का एक तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए एक दक्षता आधारित पाठ्यक्रम को अद्यतन किया गया है। उत्तीर्ण होने वाले कम से कम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग-संस्थान तालमेल कक्ष सक्रिय किए गए हैं। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को शुरू करने तथा ऐसे जिले जहां बहुतकनीकी संस्थान नहीं हैं उनमें ऐसे संस्थान स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राजकीय बहुतकनीकी एवं स्वपोषित बहुतकनीकी संस्थानों में काफी मात्रा में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी प्रयास, वाई०एम०सी०ए० इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद तथा छोटू राम इंजीनियरिंग महाविद्यालय मुरथल में क्रमशः 90 तथा 120 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

स्वरोजगार स्थापित करने के साथ-साथ उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युवाओं और महिलाओं को औद्योगिक दक्षता प्रदान करने के महत्व को समझते हुए राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का जाल बिछाया गया है।

[Mr. Speaker]

वर्ष 2003-2004 में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, लोहारू का भवन लगभग 40 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धौटाला का नया भवन निर्माणाधीन है और गन्नौर में ऐसा भवन अनुमानत: 230 लाख रुपये की लागत से लगभग तैयार होने को है। अनुमानत: 128 लाख रुपये की लागत से व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, पंचकूला एवं टांकडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2003-2004 के लिए भवनों के निर्माण हेतु कुल बजट 300 लाख रुपये का है।

व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, कलाली-बलाली और बाण्डाहेड़ी के नए भवन 60 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2004-2005 में तैयार करने का प्रस्ताव है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

सभी माननीय सदस्यगण इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि हरियाणा भारत में सभी गांवों एवं नगरों को सड़कों के विस्तृत तंत्र द्वारा जोड़ने में अग्रणी राज्य है। मेरी सरकार का जोर वर्तमान सड़कों के तंत्र का उचित रखरखाव एवं उन्हें उन्नयन करने पर है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2859 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया गया तथा 20 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया। मेरी सरकार का आगामी वित्त वर्ष के दौरान 163 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण तथा 2080 किलोमीटर वर्तमान सड़कों के सुधार का प्रस्ताव है। वार्षिक योजना 2003-2004 में 275 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय के विरुद्ध वर्ष 2004-2005 के लिए 320 करोड़ रुपये की योजना के प्रावधान का प्रस्ताव है। मेरी सरकार का सड़कों के तंत्र का सुधार एवं पुलों के निर्माण हेतु आधारभूत संरचनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों जैसे हुडको, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा नाबार्ड से संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान 20 पुलों एवं 17 रेलवे ऊपरगामी पुलों के निर्माण करने का प्रस्ताव है।

जन-स्वास्थ्य

मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को संवर्द्धित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस वर्ष के दौरान 470 गांवों में जलापूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर से अधिक किए जाने की आशा है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान 525 गांवों में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2004-2005 के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के संवर्द्धन के लिए 137 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी जनसंख्या की बढ़ती दर के दृष्टिगत शहरी जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं में अधिक पूंजी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के दौरान शहरी जलापूर्ति एवं मल निकासी योजना के लिए 50 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2004-2005 के दौरान छ: शहरों, नामत: यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद एवं गुड़गांव में यमुना कार्य योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया जाएगा। इस कार्य के लिए जापानी बैंक ऑफ इन्टरनेशनल कोआपरेशन द्वारा 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

नगर विकास

राज्य सरकार का नगर विकास विभाग शहरों के सौन्दर्यकरण और पर्यावरण को सुधारने के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा बड़े शहरों में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए निवेश में वृद्धि कर के छोटे एवं मध्यम कस्बों को विकसित करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रहा है। झोंपड़पट्टी क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हेतु चालू वित्त वर्ष के लिए 752 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए 536 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 300 लाख रुपये की लागत से शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन योजना भी क्रियान्वित की जा रही है, जबकि आगामी वित्त वर्ष के दौरान इतनी ही राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। नगरों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1070 लाख रुपये की लागत से एक योजना क्रियान्वित की जा रही है, जबकि आगामी वित्त वर्ष के दौरान इतनी ही राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। नगर निगम, फरीदाबाद तथा अन्य शहरों में डेरियों तथा सुअर इकाइयों को नगरपालिका सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

नगर एवं ग्राम आयोजना

माननीय सदस्यों ! मेरी सरकार कस्बों तथा गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है। हाल ही में सरकार ने 'नियोजित ग्राम योजना' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करवाने तथा शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित आवासीय कालोनियां विकसित की जा रही हैं। गुड़गांव के निवासियों को दिल्ली के लिए मास ट्रांजिट लिंक उपलब्ध करवाने हेतु सरकार ने त्रिनगर-बिजवासन-गुड़गांव रूट पर 'समेकित रेल-कम-बस ट्रांजिट स्कीम' के क्रियान्वयन को अपनी सहमति प्रदान की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की योजनाओं के तहत लोक महत्व के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। हुडा ने प्रदेश में 7055 आवासीय प्लाट तथा 1084 औद्योगिक प्लाट विज्ञापित किए हैं। चौधरी देवी लाल की स्मृति में रोहतक, सिरसा, पानीपत एवं रेवाड़ी में टाउन पार्कों का निर्माण कर उन्हें लोकार्पित किया जा चुका है जबकि सोनीपत, कैथल और धारूहेड़ा में ऐसे टाऊन पार्क निर्माणधीन हैं।

परिवहन सेवाएं

मेरी सरकार हरियाणा के लोगों को सस्ती सुरक्षित एवं कुशल परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। हरियाणा परिवहन की 3431 बसें रोजाना लगभग 1088 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, जिनमें लगभग 11 लाख यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान 2100 से अधिक पुरानी बसों के स्थान पर नई एवं अत्याधुनिक बसें लगाई गई हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 600 बसों को बदले जाने का प्रस्ताव है। यह गर्व की बात है कि हरियाणा परिवहन कर से पूर्व लाभ अर्जित करने के क्षेत्र में देश के अग्रणी उपक्रमों में से एक है। वर्ष 1999-2000 के दौरान कर से पूर्व लाभ 26 करोड़ रुपये था, जोकि वर्ष 2002-2003 में बढ़कर लगभग 120 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2003-2004 के दौरान बसों की खरीद, नए भवनों के निर्माण तथा परिवहन के परिचालन के आधुनिकीकरण के अन्य कार्यों के लिए 55 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है। ऐसे कार्यों हेतु वर्ष 2004-2005 के लिए 56 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

[Mr. Speaker]

मेरी सरकार नए बस अड्डों एवं कार्यशालाओं के निर्माण तथा अन्य आधारभूत संरचना के रखरखाव को उच्च प्राथमिकता दे रही है। इस कार्य हेतु वर्ष 2003-2004 के लिए 500 लाख रुपये की राशि रखी गई है तथा वर्ष 2004-2005 के परिव्यय के लिए भी इतनी ही राशि निर्धारित करना प्रस्तावित है।

चालू वर्ष के दौरान आधारभूत संरचना एवं सेवाओं के सुधार के लिए परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गांवों को निकटवर्ती नगरों से जोड़ने वाले मार्गों पर पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए यात्री परिवहन के आंशिक निजीकरण की एक योजना बनाई गई है जिसके तहत राज्य के 747 मार्गों पर 2073 बस परमिट अधिकतम बोली वाले निजी परिवहन आपरेटरों को ऑफर किये गए हैं। सिटी बस सर्विस के नाम से एक अन्य योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत उप-शहरी क्षेत्रों सहित फरीदाबाद एवं गुड़गांव शहर तथा गुड़गांव-दिल्ली तथा फरीदाबाद-दिल्ली मार्ग पर साधारण, डीलक्स व वातानुकूलित बस सेवा स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार निजी आपरेटरों को डीलक्स एवं वातानुकूलित बस सेवाएं संचालित करने के लिए अनुबंध कैरिज परमिट प्रदान करने पर भी विचार कर रही है।

पर्यटन

हरियाणा देश में राजमार्गी पर्यटन तथा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के मामले में एक अग्रणी मार्गदर्शक बन गया है। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर विशेष बल दिया है। फार्म एवं ग्रामीण पर्यटन की एक नई अवधारणा शुरू की गई है जिसके तहत दिल्ली के निकट स्थित 13 फार्म गृहों की पहचान की गई है। घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को इन फार्म गृहों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पिंजौर गार्डन, पिपली, उचाना एवं पानीपत में ओएसिस फास्ट फूड सेवा की एक श्रृंखला शुरू की गई है। पंचकूला में 12 कमरों का एक नया ब्लॉक शुरू किया गया है तथा सूरजकुण्ड में भू-दृश्य एवं सौन्दर्यकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। राजा नाहर सिंह महल, बल्लभगढ़ का नवीनीकरण कर इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में खोला गया है।

कुरुक्षेत्र को भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ज्योतिसर में ध्वनि एवं प्रकाश शो शुरू किया गया है तथा कुरुक्षेत्र में होटल प्रबन्धन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। मोरनी एवं टिक्करताल क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं का साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तार किया जा रहा है तथा टिक्करताल में एक एडवैंचर थीम पार्क स्थापित किया जा रहा है।

राई में "एथनिक विलेज" की एक नई परियोजना स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 350 लाख रुपये का योजना परिव्यय स्वीकृत किया है तथा इस कार्य हेतु आगामी वित्त वर्ष की वार्षिक योजना के लिए 400 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। ओटू में एक नया रेस्टोरेंट तथा एक छोटी झील स्थापित करने का प्रस्ताव है। बड़खल झील, पिंजौर, उचाना, पानीपत, बहादुरगढ़, पिपली, कुरुक्षेत्र एवं हिसार के पर्यटन परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का प्रस्ताव है।

आबकारी एवं कराधान

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकृत समिति के माध्यम से उत्पन्न की गई राष्ट्रीय आम सहमति का सम्मान करते हुए हरियाणा ने मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली (वैट) लागू की है तथा मेरी सरकार ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय राजनैतिक इच्छा शक्ति एवं उत्साह प्रदर्शित किया है जबकि देश का कोई भी अन्य प्रदेश ऐसा नहीं कर सका। इसका काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। कर राजस्व, जिसमें बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर, स्थानीय क्षेत्र विकास कर तथा मनोरंजन कर शामिल हैं, में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2003 तक 2930 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है।

वैट कर संग्रह की एक सरल और उन्नत प्रणाली है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि इसके सुचारु क्रियान्वयन से उन्हीं कर दरों पर राजस्व में वास्तव में वृद्धि हुई है। वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियां चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2003 तक 358 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2741 करोड़ रुपये हो गई है। वैट के साथ कर एकत्रण 2126 करोड़ रुपये है, जोकि इस अवधि के दौरान 22 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि के अनुरूप है। प्रदेश में कर एकत्रण में यह वृद्धि क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में सतत् रूप से अधिक ही नहीं है बल्कि देश में सर्वाधिक है। इस का मुख्य श्रेय प्रदेश के व्यापार एवं उद्योग को जाता है, जिसने वैट को अपनाने में उल्लेखनीय विश्वास दिखाया है जिसके परिणामस्वरूप वैट के बावजूद कीमतों में वास्तविक तौर पर वृद्धि न होते हुए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।

राजस्व

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए आपदा राहत कोष में आगामी वित्त वर्ष के लिए 99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आवासीय प्लाट आवंटित करने की योजना आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। प्रशासनिक सेवाओं को एक छत के नीचे उपलबध करवाने की राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत झज्जर और सिरसा में प्रशासकीय खंड के भवन निर्माणाधीन हैं। जींद, गुड़गांव और फरीदाबाद में लघु सचिवालय परिसरों के प्रशासनिक खंडों का निर्माण शुरू किया गया है। 31 मार्च, 2003 तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की वित्तीय सहायता से मेवात क्षेत्र विकास परियोजना नामक एक अनूठी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 11 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान शिवालिक विकास बोर्ड के अंतर्गत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बोर्ड के लिए अगले वित्त वर्ष के दौरान 7 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। हिसार में छात्रावास सुविधा सहित एक पटवार प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया गया है, जबकि एक अतिरिक्त पटवार प्रशिक्षण स्कूल का निर्माण पंचकूला में करने का प्रस्ताव है। इस पर 80 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है और यह राज्य के उत्तरी जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

कानून एवं व्यवस्था

आदरणीय सदस्यों ! हम सब जानते हैं कि समाज के चहुंमुखी विकास के लिए अच्छी कानून एवं व्यवस्था अति आवश्यक है। प्रशासन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर सरकार ने पूरा

[Mr. Speaker]

ध्यान दिया है। इसका सुखद परिणाम यह है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित है। वर्ष 2003 के दौरान अपराध की दर में कमी आई है। यद्यपि वर्ष 2002 में अपराध के 40,179 मामले दर्ज किए गए थे, वर्ष 2003 में इनकी संख्या घटकर 38,640 हो गई जो इनमें 1539 की कमी दर्शाता है। वर्ष 2003 में राज्य में उग्रवाद की कोई घटना नहीं घटी। समाज के सभी वर्ग राज्य में शांति पूर्ण माहौल में रह रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष में राज्य में कोई औद्योगिक विवाद नहीं हुआ है। सभी शिक्षा संस्थान बिना किसी तनाव के कार्यरत हैं। समाज के सभी कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। पुलिस बल को मजबूत करने के उद्देश्य से सिपाहियों, उप-निरीक्षकों और अन्य पदों पर भर्ती की गई है। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 2003 में द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन स्वीकृत की है। इस बटालियन में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार पुलिस बल और होम गार्ड के आधुनिकीकरण की ओर विशेष ध्यान दे रही है। भारत सरकार के सहयोग से पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अनेक पग उठाए गए हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान भारत सरकार ने राज्य के पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। अगले वित्त वर्ष पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 44 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने पिछले वर्ष आवंटित राशि का सदुपयोग किया है उसकी भारत सरकार ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

राज्य का जेल प्रशासन सुदृढ़ किया जा रहा है। गुड़गांव में 1328 कैदियों की क्षमता की नयी जेल बनाने का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। नारनौल और करनाल में नये जेल भवन बनाये गये हैं और रेवाड़ी, पानीपत, झज्जर तथा यमुनानगर में जेल भवन बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

गत चार वर्षों के दौरान राज्य को एक स्थिर और प्रभावी सरकार दी गई जिसने सुप्रशासन के लिए कई पग उठाए। मैं प्रभावी, उत्तरदायी, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के अपनी सरकार के दृढ़ संकल्प को पुनः दोहराता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र के दौरान दिए गए आपके कीमती सुझाव राज्य के लोगों के विकास, कल्याण और राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए बेहतर नीतियां और कार्यक्रम बनाने में सहायक होंगे। मैं बजट सत्र के अवसर पर एक बार पुनः अपनी शुभ-कामनाएं देता हूं।

जय हिन्द !

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कुछ राजनेता, कुछ समाज सेवी और कुछ देश भक्त इस संसार से चले गए हैं। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री मुरासोली मारन, केन्द्रीय मंत्री

यह सदन केन्द्रीय मंत्री श्री मुरासोली मारन के 23 नवम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 17 अगस्त, 1934 को हुआ। वह 1967, 1971, 1996, 1998 और 1999 में लोक सभा के लिए चुने गये। वह तीन बार 1977 से 1995 तक राज्य सभा के सदस्य रहे और 1989-90, 1996-98 तथा अक्तूबर 1999 से अपने निधन के समय तक मंत्री रहे।

श्री मारन एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की महती सेवा की। उन्होंने पत्रकारिता, साहित्य और फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में भी कार्य किया। उन्होंने भारत के प्रथम क्षेत्रीय सेटेलाइट दूरदर्शन चैनल को स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस बात के लिये याद रखा जाएगा कि उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। दोहा, कतर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में उन्होंने भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों के हितों की जोरदार पैरवी की। उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर ख्याति अर्जित की।

उनके निधन से देश एक प्रखर सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े के 12 जनवरी, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 29 अगस्त, 1926 को हुआ। वह एम०ए०, एल०एल०बी० थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान जेल गए। वह छह बार कर्नाटक विधान सभा के लिये चुने गये। वह 1957 में कर्नाटक के उप-मंत्री तथा 1962 से 1971 तक मंत्री रहे। वह 1983 से 1988 तक दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1988 में जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1989-90 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वह 1978 और 1996 में राज्य सभा के लिये निर्वाचित हुये। वह 1998 से 1999 तक केन्द्रीय मंत्री रहे। वह मूल्य आधारित राजनीति के पक्षधर थे। उन्हें विनम्र राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता रहेगा।

उनके निधन से देश एक प्रखर सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे, भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष

यह सदन भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे के 28 दिसम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

उनका जन्म 15 अगस्त, 1922 को हुआ। वह अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों से ही समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह तत्कालीन जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 1967 में जनसंघ के अखिल भारतीय सचिव बने। वह 1978-79 के दौरान लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1984 से 1986 तथा 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे। वह 1998 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित किया। वह नई पीढ़ी के लिये एक प्रेरणा-स्रोत थे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख नेता और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बलवंत राय तायल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री बलवंत राय तायल के 15 दिसम्बर, 2003 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 अक्तूबर, 1918 को हुआ। उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए। वह गान्धी जी के अनुयायी थे तथा उन्होंने सर्वोदय और शराबबन्दी के लिये कार्य किया। वह 1952 और 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1956 में उप-मंत्री रहे। वह 1968 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1979-80 के दौरान मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री कन्हैया लाल पोसवाल के 22 सितम्बर, 2003 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 मई, 1922 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1968, 1972 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1966-1967, 1968-1977 और 1981-1982 के दौरान मंत्री रहे। वह 1996 से 1998 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने देश-विदेशों का दौरा किया।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मेहर सिंह राठी, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री मेहर सिंह राठी के 9 नवम्बर, 2003 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 फरवरी, 1928 को हुआ। उन्होंने गरीब तथा दलित लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1978-1982 के दौरान मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री नेकी राम, भूतपूर्व सांसद

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व सांसद श्री नेकी राम के 20 दिसम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1922 में हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह गान्धी जी के अनुयायी थे। वह 1960 से 1966 और पुन: 1966 से 1972 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी चुने गये।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कामरेड भान सिंह भौरा, सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कामरेड भान सिंह भौरा के 3 जनवरी, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 सितम्बर, 1934 को हुआ। उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और 1967 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1971 और 1999 में लोक सभा के लिये चुने गये।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री साधुराम सैनी, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री साधुराम सैनी के 11 सितम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म दिसम्बर 1919 में हुआ। वह 1952 और 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति के चेयरमैन भी रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक और स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

श्री रामेश्वर दत्त शास्त्री, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामेश्वर दत्त शास्त्री के 26 जनवरी, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1916 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से साहित्य रत्न की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती बसन्ती देवी, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या

यह सदन हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती बसन्ती देवी के 5 फरवरी, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 अक्तूबर, 1928 को हुआ। उन्होंने एफ०ए० की डिग्री प्राप्त की। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गयीं। उन्होंने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों के कल्याण के लिये कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायिका की सेवाओं से वंधित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान, स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री जोध सिंह चौधरी, अम्बाला।
2. श्री करतार सिंह, गांव पंजोड़ी, जिला अम्बाला।
3. श्री प्रेम सिंह साहनी, गांव नाइरपुर, जिला यमुनानगर।
4. श्री मनोहर लाल दत्ता, यमुनानगर।
5. श्री मोहन लाल, गांव कालवां, जिला जींद।
6. श्री फौजा सिंह, गांव खरकड़ा, जिला जींद।
7. श्री कन्धारा सिंह सीमा, गांव छप्पर, जिला जींद।
8. श्री लक्खी राम, गांव फिरोजपुर बांगर, जिला सोनीपत।

9. श्री चन्द्रभान पालीवाल, गांव जटोला, जिला सोनीपत।
10. श्री रवि रत्न बैरागी, गांव छत्तेहरा, जिला सोनीपत।
11. श्री गंगा दयाल शर्मा, जिला सोनीपत।
12. श्री धन्ना सिंह, गांव छपार, जिला भिवानी।
13. श्री शम्भू दयाल, गांव कालियावास, जिला भिवानी।
14. श्री कन्ही राम, गांव भांडवा, जिला भिवानी।
15. श्री रतन सिंह ठाकुर, हिसार।
16. श्री कुरड़ा राम, गांव दडौली, जिला हिसार।
17. श्री भाग सिंह, गांव नाडा, जिला हिसार।
18. श्री छोटे लाल शर्मा, गांव शेरपुर, जिला गुड़गांव।
19. राव कंवर सिंह, गांव दौलताबाद कुणी, जिला गुडगांव।
20. श्री राजा राम, गांव पृथला, जिला फरीदाबाद।
21. श्री शिव लाल डागर, गांव झाड़सेतली, जिला फरीदाबाद।
22. श्री हृदय अग्रवाल, फरीदाबाद।
23. श्री जागे राम, गांव बराही, जिला झज्जर।
24. श्री सुरजन सिंह, गांव खुंगाई, जिला झज्जर।
25. श्री पोहकर सिंह, गांव कानौंदा, जिला झज्जर।
26. श्री जती राम, गांव डुंडवा, जिला कैथल।
27. श्री हरिराम फौगाट, गांव भालौट, जिला रोहतक।
28. श्री अमीर सिंह, गांव मदीना, जिला रोहतक।
29. श्री रणसिंह राणा, गांव पाक्समां, जिला रोहतक।
30. श्री मनीराम सहारन, गांव जसाणियां, जिला सिरसा।
31. श्री मूलचंद, गांव मौहंदीपुर, जिला रेवाड़ी।
32. श्री जगीर सिंह बैरागी, जिला कुरुक्षेत्र।

Vidhan Sabha Secretariat * Haryana * Chandigarh LIBRARY

यह सदन इन महान् स्वतंत्रता सैनानियों को शत-शत नमन् करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को नमन् करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मेजर नवनीत वत्स, पंचकूला।
2. लैफ्टिनैन्ट धीरेन्द्र सिंह, गांव हुरथिल, जिला फरीदाबाद।
3. कमांडेंट रणधीर सिंह, गांव करहंस, जिला पानीपत।
4. इंस्पेक्टर धर्मसिंह, गांव इसनगढ़, जिला रोहतक।
5. सूबेदार बबरू भान, गांव आदमपुर डाढी, जिला भिवानी।
6. नायब सूबेदार प्रभु सिंह, गांव रामपुरा, जिला भिवानी।
7. हवलदार नरेश सैनी, गांव गधौली, जिला अम्बाला।
8. हवलदार प्रताप सिंह, गांव पाकस्मां, जिला रोहतक।
9. हवलदार अशोक कुमार, गांव बहालगढ़, जिला झज्जर।
10. हवलदार लाल सिंह, गांव मुण्डाहेड़ा, जिला झज्जर।
11. हवलदार राजपाल, गांव बामला, जिला भिवानी।
12. हवलदार राजकुमार अहलावत, गांव बलम्भा, जिला रोहतक।
13. हवलदार सतपाल सिंह गांव चनाना, जिला भिवानी।
14. हवलदार राम अवतार, गांव राजपुरा खरखड़ी, जिला भिवानी।
15. लॉस नायक जयसिंह, गांव कुरूजानगर, जिला भिवानी।
16. लॉस नायक सतीश कुमार, गांव पथरेड़ी, जिला गुड़गांव।
17. सिपाही रमेश कुमार, गांव भागवी, जिला भिवानी।
18. सिपाही सुरेन्द्र सिंह, गांव थाना कलां, जिला सोनीपत।
19. सिपाही कुलदीप सिंह, गांव भागवी, जिला भिवानी।
20. सिपाही धर्मपाल, गांव खानपुर कलां, जिला सोनीपत।
21. सिपाही रणबीर सिंह, गांव सींसर जिला जीन्द।
22. सिपाही गुलाब सिंह, गांव बवानीखेड़ा, जिला भिवानी।
23. सिपाही विरेन्द्र सिंह, गांव गंजबूर, जिला पानीपत।

24. सिपाही लोकेश, गांव सुलतानपुर, जिला गुड़गांव।

25. सिपाही सतबीर सिंह, गांव ढाणी हरसुख, जिला भिवानी।

26. सिपाही प्रेम सिंह, गांव खेड़ी बत्तर, जिला भिवानी।

27. सिपाही ब्रह्मदत्त, गांव रुड़की, जिला रोहतक।

28. सिपाही अशोक शर्मा, गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर, जिला जींद।

29. सिपाही राम निवास, गांव देहरा, जिला पानीपत।

30. सिपाही राजेश कुमार, गांव धनाना, जिला भिवानी।

31. सिपाही रामकिशन, गांव भिसरी, जिला भिवानी।

32. सिपाही सुरेन्द्र सिंह, जिला भिवानी।

33. सिपाही उमेश कुमार, जिला भिवानी।

34. सिपाही विजयपाल, गांव सहारनवास, जिला रेवाड़ी।

35. सिपाही धन्द्रभान, गांव झोलरी, जिला रेवाड़ी।

36. सिपाही सूबे सिंह, गांव पधाना, जिला करनाल।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन् करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मक्का दुर्घटना

यह सदन 1 फरवरी, 2004 को मक्का के नज़दीक मीना में भगदड़ से मरने वाले श्रद्धालुओं के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह के बड़े भाई, **चौधरी धन्नाराम** के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के नेता ने कहा है मैं भी उनकी भावनाओं से जुड़ते हुए जो बहुत से विशिष्ट व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे, जिनका समाज में हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहा, उनमें से पहला शोक प्रस्ताव भी मुरासोली मारन, केन्द्रीय मंत्री के बारे में है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से केन्द्रीय मंत्री श्री मुरासोली मारन के 23 नवम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 17 अगस्त, 1934 को हुआ। वह 1967, 1971, 1996, 1998 और 1999 में लोक सभा के लिए चुने गये।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

वह तीन बार 1977 से 1995 तक राज्य सभा के सदस्य रहे और 1989-90, 1996-98 तथा अक्तूबर 1999 से अपने निधन के समय तक मंत्री रहे। श्री मारन एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सही सेवा की। उन्होंने पत्रकारिता, साहित्य और फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में भी कार्य किया। उन्होंने भारत के प्रथम क्षेत्रीय सेटेलाइट दूरदर्शन चैनल को स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस बात के लिये याद रखा जाएगा कि उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। दोहा, कतर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में उन्होंने भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों के हितों की जोरदार पैरवी की। उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर ख्याति अर्जित की। उनके निधन से देश एक प्रखर सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े के 12 जनवरी, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 29 अगस्त, 1926 को हुआ। वह एम०ए०, एल०एल०बी० थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जेल गए। वह छह बार कर्नाटक विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1957 में कर्नाटक के उप-मंत्री तथा 1962 से 1971 तक मंत्री रहे। वह 1983 से 1988 तक दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1988 में जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1989-90 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वह 1978 और 1996 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। वह 1998 से 1999 तक केन्द्रीय मंत्री रहे। वह मूल्य आधारित राजनीति के पक्षधर थे। उन्हें विनम्र राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता रहेगा। उनके निधन से देश एक प्रखर सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे के 28 दिसम्बर, 2003 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 15 अगस्त, 1922 को हुआ। वह अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों से ही समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह तत्कालीन जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 1967 में जनसंघ के अखिल भारतीय सचिव बने। वह 1978-79 के दौरान लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1984 से 1986 तथा 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे। वह 1998 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित किया। वह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत थे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख नेता और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री बलवंत राय तायल के 15 दिसम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 4 अक्तूबर, 1918 को हुआ। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए। वह गान्धी जी के अनुयायी थे तथा उन्होंने सर्वोदय और शराबबन्दी के लिये कार्य किया। वह 1952 और 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1956 में उप मंत्री रहे। वह 1968 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1979-80 के दौरान मंत्री रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन सादा व्यतीत किया। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री कन्हैया लाल पोसवाल के 22 सितम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 5 मई, 1922 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1968, 1972 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1966-1967, 1968-1977 और 1981-1982 के दौरान मंत्री रहे। वह 1996 से 1998 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने देश विदेशों का दौरा भी किया।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री मेहर सिंह राठी के 9 नवम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 15 फरवरी, 1928 को हुआ। उन्होंने गरीब तथा दलित लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1978-82 के दौरान मंत्री रहे। वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व सांसद श्री नेकी राम के 20 दिसम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 1922 में हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह गान्धी जी के अनुयायी थे। वह 1960 से 1966 और पुन: 1966 से 1972 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी चुने गये। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कामरेड भान सिंह भौरा के 3 जनवरी, 2004 को हुए दुखःद निधन

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 4 सितम्बर, 1934 को हुआ। उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और 1967 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1971 और 1999 में लोक सभा के लिए चुने गए। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री साधुराम सैनी के 11 सितम्बर, 2003 को हुए दुःखद निधन पर शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म दिसम्बर, 1919 में हुआ। वह 1952 और 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति के चेयरमैन भी रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक और स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामेश्वर दत्त शास्त्री के 26 जनवरी, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1916 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साहित्य रत्न की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती बसन्ती देवी के 5 फरवरी, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 5 अक्तूबर, 1928 को हुआ। उन्होंने एफ०ए० की डिग्री प्राप्त की। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गईं। उन्होंने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों के कल्याण के लिए कार्य किया। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायिका की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जो हमें छोड़ कर चले गए हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :- श्री जोध सिंह चौधरी, अम्बाला, श्री करतार सिंह, गांव पंजोड़ी, जिला अम्बाला, श्री प्रेम सिंह साहनी, गांव नाहरपुर, जिला यमुनानगर, श्री मनोहर लाल दत्ता, यमुनानगर, श्री मोहन लाल, गांव कालवां, जिला जींद, श्री फौजा सिंह, गांव खरकड़ा, जिला जीन्द, श्री कन्धारा सिंह चीमा, गांव छप्पर, जिला जीन्द, श्री लक्खी राम, गांव फिरोजपुर बांगर, जिला सोनीपत,

श्री चन्द्रभान पालीवाल, गांव जटोला, जिला सोनीपत, श्री रवि रत्न बैरागी, गांव छतेहरा, जिला सोनीपत, श्री गंगा दयाल शर्मा, जिला सोनीपत, श्री धन्ना सिंह, गांव छपार, जिला भिवानी, श्री शम्भू दयाल, गांव कालियावास, जिला भिवानी, श्री कन्ही राम, गांव भांडवा, जिला भिवानी, श्री रतन सिंह ठाकुर, हिसार, श्री कुरड़ा राम, गांव दड़ौली, जिला हिसार, श्री भाग सिंह, गांव नाडा, जिला हिसार, श्री छोटेलाल शर्मा, गांव शेरपुर, जिला गुड़गांव, राव कंवर सिंह, गांव दौलताबाद कुणी, जिला गुड़गांव, श्री राजा राम, गांव पृथला, जिला फरीदाबाद, श्री शिवलाल डागर, गांव झाड़सेतली, जिला फरीदाबाद, श्री हृदय अग्रवाल, फरीदाबाद, श्री जागे राम, गांव बराही, जिला झज्जर, श्री सुरजन सिंह, गांव खुगाई, जिला झज्जर, श्री पोहकर सिंह, गांव कानौंदा, जिला झज्जर, श्री जती राम, गांव ढुंढवा, जिला कैथल, श्री हरिराम फौगाट, गांव भालोट, जिला रोहतक, श्री अमीर सिंह, गांव मदीना, जिला रोहतक, श्री रणसिंह राणा, गांव पाक्समां, जिला रोहतक, श्री मनीराम सहारन, गांव जसाणियां, जिला सिरसा, श्री मूलचन्द, गांव मौहंदीपुर, जिला रेवाड़ी तथा श्री जगीर सिंह बैरागी, जिला कुरुक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन् करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को नमन् करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं : मेजर नवनीत वत्स, पंचकूला, लैफ्टिनैंट धीरेन्द्र सिंह, गांव हुरिथल, जिला फरीदाबाद, कमांडैंट रणवीर सिंह, गांव करहंस, जिला पानीपत, इंस्पैक्टर धर्मसिंह, गांव हसनगढ़, जिला रोहतक, सुबेदार बबरू भान, गांव आदमपुर डाढी, जिला भिवानी, नायब सूबेदार प्रभु सिंह, गांव रामपुरा, जिला भिवानी, हवलदार नरेश सैनी, गांव गधौली, जिला अम्बाला, हवलदार प्रताप सिंह, गांव पाकस्मां, जिला रोहतक, हवलदार अशोक कुमार, गांव बहालगढ़, जिला झज्जर, हवलदार लाल सिंह, गांव मुण्डाहेड़ा, जिला झज्जर, हवलदार राजपाल, गांव बामला, जिला भिवानी, हवलदार राजकुमार अहलावत, गांव बलम्भा, जिला रोहतक, हवलदार सतपाल सिंह, गांव चनाना, जिला भिवानी, हवलदार राम अवतार, गांव राजपुरा खरखड़ी, जिला भिवानी, लांस नायक जयसिंह, गांव कुब्जानगर, जिला भिवानी, लांस नायक सतीश कुमार, गांव पथरेड़ी, जिला गुड़गांव, सिपाही रमेश कुमार, गांव भागवी, जिला भिवानी, सिपाही सुरेन्द्र सिंह, गांव थाना कलां, जिला सोनीपत, सिपाही कुलदीप सिंह, गांव भागवी, जिला भिवानी, सिपाही धर्मपाल, गांव खानपुर कलां, जिला सोनीपत, सिपाही रसबीर सिंह, गांव सींसर, जिला जींन्द, सिपाही गुलाब सिंह, गांव बवानीखेड़ा, जिला भिवानी, सिपाही विरेन्द्र सिंह, गांव मंजधूर, जिला पानीपत, सिपाही लोकेश, गांव सुलतानपुर, जिला गुड़गांव, सिपाही सतबीर सिंह, गांव ढाणी हरसुख, जिला भिवानी, सिपाही प्रेम सिंह, गांव खेड़ी बत्तर, जिला भिवानी, सिपाही ब्रह्मदत्त, गांव रूड़की, जिला रोहतक, सिपाही अशोक शर्मा, गांव बूढाखेड़ा लाठर, जिला जींन्द, सिपाही राम निवास, गांव देहरा, जिला पानीपत, सिपाही राजेश कुमार, गांव धनाना, जिला भिवानी, सिपाही रामकिशन, गांव मिसरी, जिला भिवानी, सिपाही सुरेन्द्र सिंह, जिला भिवानी, सिपाही उमेश कुमार, जिला भिवानी, सिपाही विजयपाल, गांव सहारनवास, जिला रिवाड़ी, सिपाही चन्द्रभान, गांव झोलरी, जिला रिवाड़ी तथा सिपाही सूबे सिंह, गांव पधाना, जिला करनाल।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन् करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से एक फरवरी, 2004 को मक्का के नजदीक मीना में भगदड़ से मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हम दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह के बड़े भाई चौधरी धन्नाराम के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। हम दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से शोक प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णपाल (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए हैं मैं अपने आप को तथा अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसके साथ जोड़ते हुए उन महान विभूतियों को, जो पिछले विधान सभा सत्र से इस विधान सभा सत्र के बीच में इस संसार से विदा हो गए हैं, श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। इनमें सबसे पहला नाम श्री मुरासोली मारन का है।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से केन्द्रीय मंत्री श्री मुरासोली मारन के 23 नवम्बर, 2003 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 17 अगस्त, 1934 को हुआ। वह 1967, 1971, 1996, 1998 और 1999 में लोक सभा के लिए चुने गये। वे तीन बार 1977 से 1996 तक राज्य सभा के सदस्य रहे और 1989-90, 1996-98 तथा अक्तूबर, 1999 से अपने निधन के समय तक मंत्री रहे।

श्री मारन एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की महती सेवा की। उन्होंने पत्रकारिता, साहित्य और फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में भी कार्य किया। उन्होंने भारत के प्रथम क्षेत्रीय सेटेलाईट दूरदर्शन चैनल को स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस बात के लिये याद रखा जायेगा कि उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल की। दोहा, कतर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में उन्होंने भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों के हितों की जोरदार पैरवी की। उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर ख्याति अर्जित की। उनके निधन से देश एक प्रखर सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े के 12 जनवरी, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 29 अगस्त, 1926 को हुआ। वह एम०ए०, एल०एल०बी० थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान जेल गए। वह छः बार

कर्नाटक विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1957 में कर्नाटक के उप-मंत्री तथा 1962 से 1971 तक मंत्री रहे। वह 1983 से 1988 तक दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1988 में जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । वह 1989-90 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वह 1978 और 1996 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। वह 1998 से 1999 तक केन्द्रीय मंत्री रहे। वह मूल्य आधारित राजनीति के पक्षधर थे। उन्हें विनम्र राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता रहेगा। उनके निधन से देश एक प्रखर सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं और मेरी पार्टी के सदस्य दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे के 28 दिसम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 15 अगस्त, 1922 को हुआ। वह अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों से ही समर्पित कार्यकर्ता थे। वह तत्कालीन जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 1967 में जनसंघ के अखिल भारतीय सचिव बने। वह 1978-79 के दौरान लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1984 से 1986 तथा 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे। वह 1998 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित किया। वह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा-स्रोत थे। उनके निधन से देश एक प्रमुख नेता और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं और मेरी पार्टी के सदस्य दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व मंत्री श्री बलवन्त राय तायल के 15 दिसम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 4 अक्तूबर, 1918 को हुआ। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गए । वह गान्धी जी के अनुयायी थे तथा उन्होंने सर्वोदय और शराबबन्दी के लिए कार्य किया। वह 1952 और 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1956 में उप-मंत्री रहे। वह 1968 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1979-80 के दौरान मंत्री रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं और मेरी पार्टी के सदस्य दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री कन्हैया लाल पोसवाल के 22 सितम्बर, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 5 मई, 1922 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1968, 1972 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1966-67, 1968-1977 और 1981-1982 के दौरान मंत्री रहे। वह 1996 से 1998 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने देश-विदेशों का दौरा किया। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति गहरा शोक प्रकट करता हूं।

[श्री कृष्णपाल]

इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, श्री मेहर सिंह राठी, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, श्री नेकी राम, भूतपूर्व सांसद, कामरेड भान सिंह भौरा, सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री साधुराम सैनी, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री रामेश्वर दत्त शास्त्री, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्रीमती बसन्ती देवी, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या, हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी, हरियाणा के महान् शहीद, मक्का दुर्घटना और हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह जी के बड़े भाई चौधरी धन्नाराम के दु:खद निधन पर, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में हमारे बीच से बहुत सी महान विभूतियां चली गई हैं। सबसे पहले मैं श्री मुरासोली मारन, केन्द्रीय मंत्री के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। वह पांच बार लोक सभा के लिए और तीन बार राज्य सभा के लिए चुने गए। उन्होंनें तीन बार केन्द्रीय मंत्री के पद को सुशोभित किया। उन्होंनें विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा की। उनका नाम पत्रकारिता, साहित्य और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आदरपूर्वक लिया जाता है। केन्द्रीय मंत्री के रूप में भी उनकी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता । उनके निधन से देश ने एक अनुभवी शासक तथा योग्य प्रशासक खो दिया।

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े के निधन पर भी मुझे गहरा दु:ख है। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया और जेल गये । कर्नाटक राज्य की राजनीति में उनका अपना ही महत्वपूर्ण स्थान था। केन्द्र में भी उन्होंनें राजनीति के क्षेत्र में अहम् भूमिका निभाई । वे राज्य सभा के सदस्य, केन्द्रीय मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। केन्द्रीय मंत्री के रूप में उनके योगदान को हमेशा ही सराहा जाता था।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे, भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष, शुरू से ही एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। जनसंघ की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और वे दो बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। वे जनता दल के अध्यक्ष भी रहे। समाज कल्याण और राजनीति के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनके निधन पर भी मुझे गहरा शोक है।

श्री बलवंत राय तायल हमारे ही प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री थे । उन्होने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वे गांधी जी के अनुयायी थे वे दो बार संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और संयुक्त पंजाब में उप मंत्री रहे। वह दो बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और उन्होंने 1979-80 में मंत्री पद को सुशोभित किया । वे एक अनुभवी विधायक और योग्य प्रशासक थे। उनके निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल जो हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री थे, उनके निधन पर भी मुझे गहरा दु:ख है। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया था और संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वे तीन बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंनें इस प्रदेश के मंत्री के रूप में भी काफी समय तक सेवा की । वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनके निधन से हमारे प्रदेश ने एक योग्य प्रशासक और अनुभवी सांसद खो दिया है।

श्री मेहर सिंह राठी, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री के निधन पर भी मुझे गहरा शोक है। वे गरीब तथा दलित लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे।

श्री नेकी राम, भूतपूर्व सांसद ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और वे गांधी जी के अनुयायी थे। वह दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे और एक बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। उनके निधन पर भी मुझे गहरा दुःख है।

कामरेड भान सिंह मौरा, सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर भी मुझे गहरा दुःख है। वे दो बार लोक सभा के लिए भी चुने गए।

श्री साधुराम सैनी, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर भी मैं अपना शोक प्रकट करता हूं। वे दो बार संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी भाग लिया और जेल गये । वह हरियाणा स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान समिति के चेयरमैन भी रहे। उनके निधन पर भी मुझे दुःख है।

श्री रामेश्वर दत्त शास्त्री, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया और 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए।

श्रीमती बसन्ती देवी इसी सदन की सदस्या रहीं। सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों के कल्याण में उनका काफी योगदान था । उनके निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं।

इनके अतिरिक्त हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों और शहीदों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो नाम लिए हैं इन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों और शहीदों के हुए दुःखद निधन पर मुझे गहरा शोक है। कोई भी देश स्वतन्त्रता सेनानियों और शहीदों की सेवाओं को नहीं भूल सकता क्योंकि इन्हीं लोगों की कुर्बानी की वजह से हमें आजादी मिली और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का यही एक तरीका है कि हम देश की सेवा पूरे तन मन से करें। इन सब के निधन से देश सच्चे देश भक्तों की सेवाओं से वंचित हो गया है। ऐसे वीर शहीदों के बलिदान से देश की अखण्डता बनी हुई है और हरियाणा के वीर किसी भी तरीके से कम नहीं है।

मक्का दुर्घटना से मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद व असामयिक निधन पर भी मुझे गहरा शोक है।

हरियाणा के शिक्षा राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह जी के बड़े भाई श्री धन्ना राम जी के निधन पर भी मुझे गहरा शोक है।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन के सदस्यों ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) चेयरपर्सनज़ के नामों की सूची :

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the panel of Chairpersons :—

1. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A.
2. Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A.
3. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.
4. Smt. Veena Chhibbar, M.L.A.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions :—

1.	Shri Gopi Chand Gahlot Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2.	Shri Puran Singh Dabra	Member
3.	Smt. Veena Chhibbar	Member
4.	Shri Jasbir Mallour	Member
5.	Shri Zakir Hussain	Member

(ख) सचिव द्वारा—

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव : मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2003 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय, ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की टेबल पर रखता हूं—

September, Session 2003

1. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2003
2. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2003

3. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2003
4. The Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2003.
5. Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill, 2003
6. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2003
7. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2003.
8. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2003.
9. The Haryana State Industrial Security Force Bill, 2003.
10. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2003.

बिजनैस एडवाईज़री कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members Now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 9.30 A.M. on Monday, the 9th February, 2004 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly whilst in Session shall meet on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

On Monday, the 9th February, 2004, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after conclusion of business entered in the list of Business for the day.

The Committee further recommends that on Tuesday, the 10th February, 2004, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and shall meet again at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. However, the Assembly shall meet on Monday, the 16th February, 2004 at 11.00 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of Business for the day.

The Committee also recommends that on Tuesday the 17th February, 2004, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of Business for the day.

[Mr. Speaker]

The Committee after some discussion, also recommends that the business on 9th to 13th February, 2004 and 16th and 17th February, 2004 be transacted by the Sabha as under :—

The house will meet immediately Half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 9th February, 2004.	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for Presentation of the final reports thereon.
Tuesday, the 10th February, 2004 (9.30 A.M.) (1st Sitting)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule-22 (2). 3. Motion under Rule-121 4. Discussion on Governor's Address. 5. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2003-2004 (2nd Instalment) and the Report of the Estimates Committee thereon.
Tuesday, the 10th February, 2004 (2.00 P.M.) (2nd Sitting)	Resumption of Discussion on Governor's Address.
Wednesday, the 11th February, 2004 (9.30A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule-30. 3. Presentation of Reports of Assembly Committees. 4. Resumption of Discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
Thursday, the 12th February, 2004 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 2004-2005.

Friday, the 13th February, 2004 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Papers to be laid, if any. 3. General Discussion on Budget Estimates for the year 2004-2005.
Saturday, the 14th February, 2004	Holiday.
Sunday, the 15th February, 2004	Holiday.
Monday, the 16th February, 2004 (11.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Reports of Assembly Committees. 3. Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2004-2005 and reply by the Finance Minister thereon. 4. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2004-2005.
Tuesday, the 17th February, 2004 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting. 3. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*. 4. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 2003-2004 (2nd Instalment) 5. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2004-2005. 6. Legislative Business. 7. Any other Business."

13.00 बजे Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नॉन-आफिशियल डे के लिए एक रैजोलूशन आपको भेजा था पिछले चार सालों से जब से यह विधानसभा कांस्टीच्यूट हुई है तब से आज तक एक भी नॉन-आफिशियल डे नहीं हुआ है। उसकी वजह से जो शिक्षा के संबंध में सदस्य अपने सुझाव देना चाहते हैं, इरीगेशन के मामले में अपने सुझाव देना चाहते हैं और दूसरे विषयों पर भी अपने सुझाव देना चाहते हैं इसलिए यह अवश्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपका रैजोलूशन मिला है लेकिन वह पैरामीटर पूरे नहीं करता इसलिए वह डिसअलाऊ कर दिया है।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

एशिया कप में विजयी महिला हाकी टीम को बधाई

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को एक नई जानकारी दूंगा जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि वूमैन एशियड की हाकी चैम्पियनशिप में हमारे देश की महिलाओं ने जापान की टीम को एक गोल से हरा कर जो विजय प्राप्त की है उसके लिए पूरे सदन की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक मात्र गोल करने वाली लड़की टीम की सबसे कम उम्र की है जो हमारे प्रांत की है जिसका नाम कुमारी जसबीर कौर है। इसके अतिरिक्त हमारे ही प्रांत की तीन लड़कियां इस टीम में और हैं जिनका नाम सुरेन्द्र कौर, ममता खरब और सुमनबाला है। ममता खरब पहले भी ईनाम हासिल कर चुकी है। इन लड़कियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और पूरे सदन की सहमति से प्रदेश का नाम रोशन करने वाली इन लड़कियों को सरकार की तरफ से एक-एक लाख रुपये ईनाम के तौर पर देना चाहूंगा और इनके कोच को भी 51 हजार रुपये ईनाम के रूप में दिए जायेंगे। **(इस समय मेजें थप-थपाई गई।)**

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार ने तो घोषणा की हुई है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान लेने वाले खिलाड़ी को हरियाणा सरकार एक करोड़ रुपये ईनाम के रूप में देगी।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान लेने वाले खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि ओलम्पिक में प्रथम स्थान लेने वाले खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की हुई है। प्लीज, आप बैठें।

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है। यह बात हर स्पोर्ट्स पर्सन को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के हर नागरिक को पता है कि किस लैवल के खेलों में कौन सा मैडल जीतने पर हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से क्या ईनाम मिलेगा। हमने अपनी स्पोर्ट्स पालिसी को इन्टरनैट पर भी जारी कर रखा है। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी के अनुसार हरियाणा का जो खिलाड़ी ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतता है उसे एक करोड़ रुपये, एशियाड गेम्ज में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 10 लाख रुपये, कॉमन वैल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 लाख रुपये और एशिया चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले को एक लाख रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से ईनाम स्वरूप दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड चैम्पियनशिप का अलग ईनाम है और दूसरी चैम्पियनशिप्स का अलग ईनाम है। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने विकलांगों व वैटनर्ज खिलाड़ियों के लिए भी नकद ईनाम रखा है। इस पालिसी के तहत पिछले चार साल में पांच करोड़ रुपये के नकद ईनाम दिए जा चुके हैं। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक महीने के अंदर-अंदर जितने भी हमारे ट्रेडिशनल गेम्ज हैं उनके खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देकर हम टीम तैयार करेंगे ताकि इससे हमारी ट्रेडिशनल गेम्ज को बढ़ावा मिले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Ordinance, 2003 (Haryana Ordinance No. 3 of 2003).

The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Ordinance, 2003 (Haryana Ordinance No. 4 of 2003).

The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Ordinance, 2004 (Haryana Ordinance No. 1 of 2004).

[Mr. Speaker]

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Ordinance, 2004 (Haryana Ordinance No. 2 of 2004).

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to re-lay on the Table of the House—

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 21/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 7th February, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 32/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 11th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 36/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 26th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Education & Languages Department Notification No. G.S.R. 7/H.A. 12/99. S. 24(1)/2003, dated the 30th April, 2003, regarding Haryana School Education Rules, 2003, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. S.O. 57/H.A. 3/1970/S. 9/2003, dated the 7th April, 2003, regarding Haryana Ministers Allowances Rules, 1972, as required under section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The General Administration Department Notification No. S.O. 58/ H.A. 9/1979/S. 8/2003, dated the 7th April, 2003, regarding Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Rules, 1979, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The General Administration Department Notification No. S.O. 90/ H.A. 3/1970/S. 9/2003, dated the 27th June, 2003, regarding the Haryana Ministers Allowances Rules, 1972, as required under section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 129/ H.A. 6/2003/S. 60/2003, dated the 23rd October, 2003, regarding the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 132/ H.A. 13/2000/S. 26/2003, dated the 31st October, 2003, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2001, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 135/ H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated the 13th November, 2003, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2001, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 5/ H.A. 9/1979/S. 8/2004, dated the 9th January, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Rules, 1979, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 10/ H.A. 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2001, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 11/ H.A. 13/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2001, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 12/ H.A. 13/2000/S. 3/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2001, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The 34th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 2000-2001, as required under section 31 (11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

[Prof. Sampat Singh]

The 35th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 2001-2002, as required under section 31 (11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The 29th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd. for the year 2002-2003, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1998-1999, as required under section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Memorandum of Action Taken on the Annual Report of National Human Rights Commission for the year 1998-99, as required under section 20(2) of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Annual Report on the working of Haryana Public Service Commission for the year 2001-2002, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

The 35th Annual Report of Haryana State Industrial Development Corporation for the year 2001-2002, as required under section 619A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year 2000-2001, as required under section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly, thus, committing

the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly, thus, committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against

[Mr. Speaker]

Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह और श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०एज़० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharamvir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharamvir Singh, M.L.A., and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/ remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously

arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharamvir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharamvir Singh, M.L.A., and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) डॉ० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A., Chairperson Committee of Privileges, will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the

Vidhan Sabha Secretariat ★ LIBRARY

[Mr. Speaker]

Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 10th February, 2004.

*13.18 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 10th February, 2004.)

37730—H.V.S.—H.G.P., Chd.